

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.: 39/1999

वादीगण -

1. सुरजमल ~~पुत्र~~ चतुर्भुज 2. ओमप्रकाश 3. शंकरलाल 4. मदनलाल पुत्रान आसुराम
सभी जातियान पालीवाल नि. भाण्डियावास तह, पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चन्द्रा बेवा भंवरसिंह 2. कमला कंवर पुत्री भंवरसिंह 3. करणसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. गुलाबकंवर पुत्री भंवरसिंह 5. देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह 6. जोगसिंह पुत्र मंगलसिंह
 7. जबरसिंह पुत्र मंगलसिंह के कायम मुकामात
7/1 धापुकंवर बेवा जबरसिंह 7/2 भाखरसिंह, 7/3 राजुसिंह पुत्रान जबरसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीयान भाण्डियावास तहसील पचपदरा
 8. किशनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई
 9. लिखमाराम पुत्र दुर्गाराम 10. दुर्गाराम पुत्र आईदानाराम जाति जाट, सभी निवासियान भाण्डियावास
 11. भगवतीदेवी पुत्री आसुराम जाति पालीवाल
 12. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा, 13. गुमनाराम 14. दीपाराम पुत्रान आदाराम
 15. प्रेमप्रकाश 16. छगनाराम 17. रमेश कुमार पुत्रान गिरधारीराम सभी जातियान जाट निवासियान बालोतरा
- (मोरो बेवा गुमानसिंह का नाम प्रतिवादी से आदेशिका दिनांक 20.08.2020 से हटाया गया)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



- उपस्थिति -
1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण
 2. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण
 3. श्री रतनलाल चौधरी, श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 06.08.2021

वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि, सहरद मौजा भाण्डियावास पटवार हल्का कुडी तहसील पचपदरा में कृषि भूमि खसरा सं. 01 रकबा 127.05 बीघा अवस्थित थी, उक्त रकबे में से 34.06 बीघा भूमि पर गोरखाराम, आसुराम का कब्जा काश्त था, उक्त भूमि के कुल रकबा में से 16 बीघा भूमि पर पोंकर पुत्र कनीराम का कब्जा था, इस कारण शेष रही 111 बीघा 05 विस्वा भूमि में से 34.07 विस्वा भूमि पर वादी के हक पूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त था, इस सम्बन्ध में नियमन पत्रावली सं. 1038/70 कायम की गई, जिसके निर्णय दिनांक 24.04.1970 द्वारा आसुराम को खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश दिया, जिसका इन्द्राज रिकॉर्ड में वर्ष 2026-2029 की जमाबंदी में किया गया, इसी वर्ष गुमानसिंह व मंगलसिंह पीसरान जावंतसिंह को 37 बीघा 11 विस्वा आवंटित हुई, वादीगण के हक पूर्वाधिकारी आसुराम को 34 बीघा 07 विस्वा भूमि की खातेदारी इन्द्राज की जा चुकी थी, मौके पर आसुराम का कब्जा कायम था, जो आज रोज भी उनके वारिसान का कायम है, किन्तु गुमानसिंह व मंगलसिंह सरजोर व्यक्ति थे, ने हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर के आगामी वर्ष की जमाबंदी से आसुराम का नाम हटा दिया, गुमानसिंह ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर 33.14 बीघा भूमि पुनः अपने पुत्र भंवरसिंह के नाम आवंटित करवा दी और 15 बीघा भूमि के अधिकार सवा ~~गुमानसिंह~~ मील के नाम दर्ज किये गये, गुमानसिंह ने अपने पुत्र भंवरसिंह के नाम 33.14 ~~बीघा~~ भूमि का जो आवंटन करवाया, जिसे बाद में प्रतिवादी लिखमाराम को बेचान कर ~~राजस्व~~ अधिकारियों ने आसुराम के हकों पर कुठाराघात करते हुए आसुराम का नाम हटा दिया, इस कारण वादीगण को 34.06 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे, उक्त रकबे से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध

सहायक कलेक्टर

स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, प्रतिवादीगण द्वारा गलत तरीके से किये गये बेचाननामों को प्रभावहीन घोषित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.05.1999 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी दुर्गाराम ने दिनांक 21.08.2000 को, प्रतिवादी जबरसिंह, चन्द्र कंवर ने दिनांक 10.07.2001 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी गुमनाराम, दीपाराम ने दिनांक 24.10.2002 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी दुर्गाराम ने जवाबदावा में कथन किया कि, खसरा सं. 01 की भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व या बाद में वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा, प्रतिवादी नाबालिग है, नाबालिग के लिये अदालत से वकील घोषित करना आवश्यक है, राजस्व वाद 61/90 में जो आवश्यक पक्षकार थे, उन्हें जानबूझ कर वादी ने पूनः प्रतिवादी नहीं बनाया जबकि वे भी इसी वादग्रस्त खसरे के खातेदार हैं, जो भी आवश्यक पक्षकार हैं, वादीगण ने तथाकथित नियमन पत्रावलियों का जो हवाला दिया गया है, वो गलत तथ्यों के आधार पर तैयार करवायी गई थी, क्योंकि वादीगण के पास में कुडी, भाण्डियावास, नेवाई में इतनी अधिक कृषि भूमि है, कि वे नियमन के हकदार नहीं हो सकते, वादी का वाद पत्र रेसज्युडीकेटा के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है, वादी ने तथाकथित भूमि पर गलत तथ्य बता कर भूमि हडप करने के लिए वाद पेश किया है, मौके पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है, वादीगण का तथाकथित भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं है, वादीगण वादग्रस्त भूमि बाबत अधिकारों की घोषणा, रेकड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है, प्रतिवादी जबरसिंह, चन्द्रकंवर ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, वादी ने जिस भूमि को अ.ब.स.द. से दर्शाया है, उस भूमि पर सेटलमेन्ट से प्रतिवादीगण का कब्जा है, तथा वर्तमान में गुमनाराम, दीपाराम का कब्जा है, आसुराम का कब्जा काश्त नहीं था, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में खातेदारी अधिकार कैसे मिलते हैं, स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है, किसी भी काश्तकार का जमाबंदी वर्ष 2026-2029 में नाम मात्र आ जाने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है, वाद सं. 61/90 निर्णय दिनांक 26.04.1999 गलत तौर से प्रस्तुत किया था, भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है, कब्जे के अभाव में घोषणा का दावा नहीं चल सकता, वादग्रस्त भूमियों का बेचान हो चुका है। प्रतिवादी गुमनाराम, दीपाराम ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है, कि वादीगण या वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का कमी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, यह तथ्य गलत है, कि कब्जे के आधार पर भूमि नियमन की पत्रावली 1038/70 कायम की गई हो, जिसका निर्णय 24.04.1970 को किया गया हो, प्रतिवादी ने सप्रतिफल भूमि खरीद की है, वादीगण ने मिलावट कर संवत् 2026-2029 की जमाबंदी में गलत इन्द्राज करवाये, मृतक आसुराम ने सबूत कायम करने के लिए तमाम फर्जी कार्यवाही की, भंवरसिंह बतौर खातेदार रेकर्ड में दर्ज हुआ, जिसकी सत्यता की उपधारणा है, आसुराम के हकों पर कोई कुठाराघात हुआ होता तो वादीगण इतने समय तक चुपचाप बैठे नहीं रहते, वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से कब्जा प्राप्ति हेतु दावा नहीं किया है, इस कारण घोषणा का दावा चल नहीं सकता, गुमानसिंह, मंगलसिंह, उनके वारिसान द्वारा किये गये बेचाननामों को सक्षम न्यायालय से मंसुख नहीं करावे, दावा चलने योग्य नहीं है, मंसुखी के दावे सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत को प्राप्त नहीं है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2003 को निम्न तनकीयात कायम की गई, :-

1. तनकी नं. 1 आया वादीगण ग्राम भांडियावास के खेत खसरा सं. 1 रकबा 34.08 बीघा की खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं - जिम्मे वादी -
2. तनकी सं. 02 - "आया वादीगण तनकी सं. 01 में फलस्वरूप परिशिष्ट 'अ' उक्त खसरा सं. 01 में अ.ब.स.द. का इन्द्राज राजस्व नक्शे में करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी हैं, - जिम्मे वादी
3. तनकी नं. 3 आया - वादीगण ग्राम भांडियावास के उक्त खसरा सं. 01 में बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादी सं. 01 का नाम रकबा 37.11 बीघा हटवाये जाकर रेकर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी हैं - जिम्मे वादी
4. तनकी सं. 04 - आया खेत खसरा सं. 01 के सभी खातेदारान मुकदमें में आवश्यक पक्षकार हैं, जिनके अभाव में दावा वादी चलने के काबिल नहीं हैं, जिम्मे प्रतिवादी सं. 02 ता 08
5. तनकी सं. 05 - आया वादीगण का वाद रेसज्युडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है, - जिम्मे प्रतिवादीगण
6. तनकी सं. - 6 आया वादीगण का खसरा सं. 01 के किसी भू-भाग पर कब्जा न होने से घोषणा का वाद चलने के काबिल नहीं है, - जिम्मे प्रतिवादीगण



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

7. तनकी सं. 7 - आया मृतक गुमानसिंह, मंगलसिंह व उसके वारिसान के द्वारा किये गये बेचाननामों को सक्षम न्यायालय से मंसुख करवाये बिना वर्तमान वाद चलने काबिल नहीं हैं - जिम्मे प्रतिवादी,
8. सहायता -

दोनों पक्षों की ओर से अभिवचन प्रस्तुत होने, दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य समाप्त करने के बाद बहस उभय पक्षकारान सुनी, उभय पक्षकारान की ओर से लिखित बहस, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन समुची स्थिति विवेचन किया गया इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/ टी.ए./4170/2020 बाड़मेर लिखमाराम बनाम सूरजमल में दिनांक 22.01.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण वर्ष 1999 से विचाराधीन मूल वाद का निस्तारण नियमानुसार 3 माह में करें, जिससे उक्त प्रकरण को निर्णित किया जा रहा है।

तनकी वार विवेचन -

तनकी नं. 1 आया वादीगण ग्राम भांडियावास के खेत खसरा सं. 1 रकबा 34.08 बीघा की खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं - जिम्मे वादी - उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 सूरजमल, पी.डब्ल्यू. 2 चतुर्भूज के बयान कलमबद्ध करवाये, व दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श-1 खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श-2 खतौनी जमाबंदी संवत् 2022-2029, प्रदर्श-3 खसरा गिरदावरी संवत् 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, प्रदर्श-4 आवेदन पत्र धारा 91 आर.एल.आर. प्रदर्श-5, मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी भाण्डियावास प्रदर्श-6 नियमन आदेश दिनांक 24.04.1970 बअनवान प्रकरण सरकार बनाम आसुराम, प्रदर्श-7 जमाबंदी संवत् 2022-33, प्रदर्श-8 जमाबंदी संवत् 2054-57, प्रदर्श-9 प्रमाणित प्रतिलिपी आदेशिका बनवान प्रकरण आसुराम बनाम पुष्पादेवी दिनांक 26.04.1999, नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रदर्श-10, प्रदर्श-10ए, प्रदर्श अंकित करवाये।

वादीगण ने पी.डब्ल्यू. 1 सूरजमल, पी.डब्ल्यू. 2 चतुर्भूज ने मुख्य परीक्षण में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया, उक्त दोनों गवाहान से प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया, पी.डब्ल्यू. 1 सूरजमल ने दौराने जिरह कथन किया कि, विवादित वाला खेत 34 बीघा का है, जिसमें हम दोनों भाईयों का बराबर बराबर 17-17 बीघा हैं, कुड़ी, नेवाई, पचपदरा में अन्य कोई खेत नहीं है, दुर्गा ने कब खेत खरीदा, मुझे पता नहीं सुना है, कि भंवरसिंह ने दुर्गा को खेत बेचा है, भंवरसिंह ने कितने बीघा जमीन बेची है, मुझे पता नहीं, गिरधारी दुर्गा का बेटा है यह कहना गलत है, कि खसरा सं. 01 में मेरा कब्जा नहीं हो, अज खुद कहा खसरा सं. 01 में मेरा मकान, टांका आदि बने हुए हैं, यह कहना गलत है, कि मेरे खातेदारी की भूमि होने से मुझे नियमन नहीं हुई हों, पी. डब्ल्यू. 2 चतुर्भूज ने जिरह में कथन किया कि, खसरा सं. 01 में मेरे ढाणी व टांके बने हुए हैं, कब्जा काशत है।

वादीगण की ओर से प्रदर्श-1 मिसल बंदोबस्त पेश किया है, उससे उक्त तथ्य साबित है, कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट राजकीय भूमि थी, जिस पर वक्त सेटलमेन्ट से यानि संवत् 2012 से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का कब्जा काशत रहा, उक्त तथ्य प्रदर्श-3 से स्पष्ट है, जिसमें दौराने जिरह वकील वादी द्वारा गवाह डी.डब्ल्यू. -1, डी.डब्ल्यू. -2 से स्वीकार करवाया कि, प्रदर्श-3 में ए टू बी., सी.टु डी, ई टु एफ, जी टु एच, आई टु जे आसु वल्द गोरख पालीवाल लिखा हुआ है, तथा मौके पर कब्जा वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों का वक्त सेटलमेन्ट से था, उक्त तथ्य हल्का पटवारी भाण्डियावास द्वारा धारा 91 आ.एल.आर. का प्रकरण दर्ज करने हेतु की गई रिपोर्ट प्रदर्श-5 से ही स्पष्ट है, उक्त दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है, मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक वादीगण का कब्जा काशत निरन्तर बदस्तुर कायम रहा है, उक्त तथ्य डी.डब्ल्यू. 1 दुर्गराम ने अपनी जिरह के पेज संख्या 4 में यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है, कि खसरा सं. 01 के रकबे में संवत् 2012 से 2022 तक आसु वल्द गोरखराम पालीवाल का कब्जा था जिरह के पेज सं. 6 में "यह बात सही है, कि वादग्रस्त भूमि में पचपदरा नेवाई सरहद की तरफ कमरा व पानी का टांका पालीवालों का बना हुआ है" यह बात सही है, कि पालीवाल सूरजमल व आसुराम के परिवार वाले खसरा सं. 2 के जुड़ता खसरा संख्या 1 में आज भी खडते हैं, यह सही है कि आज भी वादीगण के रहवासीय ठांव व पानी के टांके बने हुए हैं, डी.डब्ल्यू-2 लिखमाराम ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है, कि "यह बात सही है कि भंवरसिंह को जमीन आवंटन होना बता रहा हूं, वो आवंटन आदेश पेश नहीं किया है यह सही है, कि मेरे कब्जा काशत की गिरदावरी पेश नहीं की है, यह बात सही है, कि प्रदर्श - 3 खसरा गिरदावरी में ए टू बी., सी.टु डी, ई टु एफ, जी टु एच, आई टु जे में आसु वल्द गोरख पालीवाल लिखा हुआ है यह बात सही है, कि प्रदर्श-6 नियमन आदेश दिनांक 24.04.1970 का मैंने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया यह बात सही है, कि खसरा संख्या 01 के उत्तरी भाग पर वादीगण का मौके पर खसरा संख्या 02 के जुड़ते वादीगण का मौके पर



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जयपुर

संस्थित घर, पानी का टांका बने हुए हैं, यह बात सही है, कि सूरजमल व उनके भाई आसुराम के कब्जे में हमने कोई दखल नहीं की।

उपरोक्त विवेचन अनुसार जो साक्ष्य वादीगण की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उक्त तनकी के सम्बन्ध पेश की हैं, जिससे यह स्पष्ट साबित है, कि मूल खसरा सं. 01 के रकबा पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा था, वादीगण को कब्जे काश्त के आधार पर नियमन आदेश दिनांक 24.04.1970 प्रदर्श-6 के भूमि नियमन हुई, तथा राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 प्रदर्श-2,7 में इस आशय का अमलदरामद किया गया कि आसू, सूरजापि0 गोरख को खातेदारी हक जरिये 1/ 34-07 मिसल संख्या 1038/70, एवं 215 /05.08.70 दर्ज किया गया और मौके पर कब्जा है, उक्त तथ्य प्रतिवादी स्वयं ने स्वीकार किया है। विधि अनुसार संस्वीकृति उत्तम साक्ष्य होती है उसके विरुद्ध संस्वीकृति करने वाला पक्षकार विपरीत कथन नहीं कर सकता, यहां यह उल्लेख करना उचित है, कि प्रदर्श-7 जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 25 बीघा भूमि गैर खातेदार पुष्पा पत्नि नोकारचंद कौम महाजन सा0 जोधपुर में टिप्पणी " काबिज नहीं है, खारिज हेतु कार्यवाही की जावे। दिनांक 31. 05.1973 उक्त टिप्पणी से स्पष्ट साबित है कि मौके पर पुष्पा पत्नि नोकारचंद कौम महाजन सा0 जोधपुर का कब्जा-काश्त नहीं था। तथा दिनांक 24.04.70 के बाद खाता सं. 01 में आवंटन योग्य कोई भूमि नहीं थी, इस कारण भंवरसिंह के पिता को जमीन इसी खसरे में आवंटित हो चुकी थी, पुनः उसी खसरे में भंवरसिंह को आवंटित नहीं की जा सकती थी, भंवरसिंह के पिता गुमानसिंह को जो भूमि आवंटित हुई वो गुमानसिंह के खातेदारी में थी, उसके रहते पुनः वादीगण को नियमन हुई भूमि को नियमन आदेश प्रदर्श- 6 के प्रभावी रहते हुए व मौके पर वादीगण का कब्जा रहते हुए, गलत तथ्यों के आधार पर पश्चातवर्ति आवंटन की प्रक्रिया बाद की तारीखों में करवायी, तदोपरान्त भंवरसिंह ने उक्त भूमि प्रतिवादी लिखमाराम को जरिये पिता दुर्गाराम के बेचान की, जिनका मौके पर कोई कब्जा नहीं रहा, जो दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण ने पेश किया है, उसके आधार पर वादीगण घोषणा का अनुतोष पाने के अधिकारी हैं, इस सम्बन्ध में मुख्य एतराज प्रतिवादीगण का यह रहा कि, आवंटन सुदा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा का दावा नहीं किया जा सकता, इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत (1.) RRT 2015 (2) page 1244, (2.) RRT 2010 (1) page 253, (3.) RRT 2017 (1) page 674, (4.) RRT 2011 (2) page 1170, (5.) RRT 2012 (1) page 374, न्यायिक दृष्टांत RRT 2015 (2) page 1244, में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि, भूमि का आवंटन, रेस्पॉन्डेन्ट ने खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया, जो डिक्री किया, भूमि आवंटित हुई, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का प्रावधान नहीं, न्यायिक दृष्टांत RRT 2011 (2) page 1170, में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया कि, घोषणा हेतु वाद - वादी का कब्जा नहीं - घोषणा हेतु वाद पेश नहीं किया जा सकता, न्यायिक दृष्टांत RRT 2012 (1) page 374 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया है, कि धारा 135 नामान्तरकरण - सरसरी कार्यवाही जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में हैं, भूमि के क्रेता के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, न्यायिक दृष्टांत RRT 2010 (1) page 253 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया है, कि धारा 88, 188 खातेदारी अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु वाद व अपील खारिज - कब्जा नियमन किये जाने का अभिवाक लेकिन आदेश पेश नहीं किया - कब्जा नियमन करने हेतु तहसीलदार सक्षम नहीं हैं, - अन्यथा भी यदि तहसीलदार ने नियमन किया, तो आदेश बिना अधिकारिता के है, व अकृत्य हैं - विवादित भूमि चारागाह भूमि है, तथा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते थे - भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं। न्यायिक दृष्टांत RRT 2017 (1) page 674, धारा 140 राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की सत्य होने की उपधारणा, कलेक्टर उक्त प्रविष्टियों से आगे नहीं जा सकता।



वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस में एतराज किया कि, प्रदर्श-6 नियमन समिति राय के अभाव में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, क्योंकि उक्त दस्तावेज अनकम्पलीट की तारीफ में आता है, वादीगण का बेसिस ऑफ सूट प्रदर्श-6 ही है, भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है, वाद पत्र पूर्व वाद संख्या 61/90 के प्रभाव के कारण रेसज्युडीकैटा के प्रभाव से बाधित है, रजिस्टर्ड बेचाननामा को सिविल न्यायालय से मंसुख कराये बिना यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं है, तहसीलदार नियमन करने में सक्षम ऑथरिटी नहीं था, प्रदर्श-6 बनावटी है, नियमन आदेश को एडवायजरी कमेटी के समक्ष नहीं रखा, न राय ली, भंवरसिंह को आवंटन की गई भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं था, न आज है, और न उक्त भूमि वादीगण को नियमन की गई, भंवरसिंह को किया गया आवंटन दावा में प्रश्नगत किया है, जिससे न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, सिर्फ जिला कलेक्टर ही नियम 14 (4) के तहत आवंटन को निरस्त कर सकते हैं, गुमानसिंह, मंगलसिंह व भंवरसिंह को अलग अलग जगह पर खसरा सं. 01 में भूमि आवंटित की गई, मौके पर लिखमाराम का 1991 से कब्जा है।

वादीगण ने अपनी साक्ष्य के अलावा न्यायिक दृष्टांत RRT 2018 (1) page 584 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया है, कि धारा 88, 188 घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु वाद - अपीलांत के विरुद्ध वाद डिक्री किया - प्रतिवादी माकु खान को अधिकार नहीं, उसने माकु खान

के रूप में भूमि विक्रय की, याकूब खां बचपन में ही मरा - राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र को शून्य व अप्रभावी घोषित कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अधिमत दिया गया कि, गलत एवं विधि विरुद्ध रजिस्ट्री वादग्रस्त भूमि की करवायी है, जो पंजीबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है, उसके आधार पर अपीलान्त को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हक, हक्क, अधिकार व स्वत्व हासिल नहीं हो सकते हैं, प्रकरण में मुख्य अनुतोष विक्रय पत्र को प्रभावहीन घोषित कराने के सम्बन्ध में हैं, ना कि विक्रय पत्र को निरस्त कराने के सम्बन्ध में, इस प्रकार का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति उचित नहीं है, कि राजस्व न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, न्यायिक दृष्टांत - RRT 2017 (1) page 740 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया है, पश्चातवर्ती विक्रय विलेख सम्पत्ति में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा तथा वादीगण को इसे आक्षेपित करना आवश्यक नहीं है - पश्चातवर्ती विक्रय पत्र शून्य व अप्रभावी है, न्यायिक दृष्टांत - RRT 2018-19 (Sup.) page 236 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अधिमत दिया गया है, कि प्रार्थी को भूमि बाद में आवंटित हुई, पहले भूमि आवंटन के बाद भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। RRT 2002 (1) page 90, RRT 2012 (1) page 374, RRT 2015 (2) page 1544 प्रतिवादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं, उसमें तहसीलदार को नियमन का अधिकार नहीं होना तथा पंजीकृत बेचाननामा रहते घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकने तथा कब्जा नहीं होने से कब्जे के अभाव में घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकने, का कथन किया है, जो न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादी ने पेश किये हैं, जो छाया नहीं होते हैं, हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार ने जो नियमन आदेश प्रदर्श-6 पारित किया वो सर्कुलर दिनांक 01.09.1962 के आधार पर पारित किया गया था, जबकि जो न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादी ने पेश किया है, उसमें तथ्य भिन्न था, क्योंकि जो भूमि तहसीलदार ने आवंटित की, वो चारागाह की भूमि थी, जो प्रतिबंधित भूमि थी, जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता था, जबकि वर्तमान प्रकरण में जो भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी को प्रदर्श-6 के जरिये नियमन की है, वो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं होकर काश्त योग्य भूमि थी, और उस पर वादीगण का नियमित कब्जा काश्त था, उक्त तथ्य प्रदर्श-2,3 व 6 से ही स्पष्ट सिद्ध हैं। मौके पर कब्जा वादीगण का है, उक्त तथ्य को प्रतिवादी ने जिरह में स्वीकार किया है। वादी उक्त अभिवचन लेकर आया कि, उन्हें भूमि नियमन की जा चुकी थी और रेकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका था, तहसीलदार के द्वारा परिपत्र दिनांक 01.09.1962 के तहत भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत किये जाने से भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, प्रदर्श-6 को किसी ने न तो प्रश्नगत किया और न न्याय निर्णित ही हुआ, जब दिनांक 24.04.1970 को भूमि वादीगण को नियमन हो चुकी थी, तो उसी भूमि को पुनः पश्चातवर्ती दिनाकों में अन्य व्यक्ति को न तो आवंटित की जा सकती थी, और न अन्य किसी प्रकार से अन्तरित ही की जा सकती थी, यदि प्रदर्श-6 के प्रभावी रहते ऐसा किया जाता है, तो पश्चातवर्ती क्रमवर्ती सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य होती है। क्योंकि दिनांक 24.04.1970 के बाद उक्त भूमि नियमन करने हेतु उपलब्ध नहीं थी, यही अधिमत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अधिमत RRT 2018-19 (Sup.) page 236 में दिया है। उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वादीगण ने अपनी मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी सिद्ध की है, अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।



तनकी संख्या 02 - "आया वादीगण तनकी सं. 01 में फलस्वरूप परिशिष्ट 'अ' उक्त खसरा सं. 01 में अ.ब.स.द. का इन्द्राज राजस्व नक्शे में करवा कर रेकॉर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी है। जिम्मे वादी -

तनकी संख्या 3 आया - वादीगण ग्राम भांडियावास के उक्त खसरा सं. 01 में बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादी सं. 01 का नाम रकबा 37.11 बीघा हटवाये जाकर रेकॉर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 02 व 03 सम्बन्धित तनकी हैं, इसलिए इनका निर्णय एक साथ में ही किया जा रहा है,। उक्त तनकीयों को साबित करने का भार वादीगण का था, वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-2, 6 व 7 पेश किया, और कथन किया कि, मूल खसरा सं. 01 में से वादीगण को भूमि नियमन हुई, जिसका अंकन जमाबंदी में हुआ, मौके पर कब्जा काश्त वादीगण का ही था, नियमन सुदा पश्चातवर्ती कार्यवाही से दोबारा भंवरसिंह को आवंटित करवायी, जो कार्यवाही आरंभ से ही शून्य प्रभाव की होने से निष्प्रभावी रही है, यही व्यवस्था न्याय दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर.आर.टी. 2018 - 19 सप्लीमेन्टरी पेज 236 सुरजाराम बनाम अमरतीदेवी में व्यक्त किया है, कि पश्चातवर्ती आवंटन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी है। इस प्रकार वादीगण मूल खसरा सं. 01 में नियमन सुदा भूमि जो वर्तमान में गलत तौर से प्रतिवादी लिखमाराम के नाम जरिये अन्तरण दर्ज हुई है, प्रतिवादी लिखमाराम का नाम हटा कर 33 बीघा 14 विस्वा भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 01 से वादीगण को घोषणा का अनुतोष पाने का अधिकारी घोषित किया है, उक्त तनकीयों को भी वादीगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट साबित है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 02 व 03 का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 04 - आया खेत खसरा सं. 01 के सभी खातेदारान मुकदमे में आवश्यक पक्षकार हैं, जिनके अभाव में वादा वादी चलने के काबिल नहीं हैं - जिम्मे प्रतिवादी सं. 02 वा 08 तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी मंवरसिंह व मंगलसिंह, गुमानसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण का था, जबकि न्यायालय में उनकी ओर से ऐसी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त तनकी को साबित करने हेतु प्रस्तुत नहीं की है, और न ही अपने आप को न्यायालय में पेशकित ही करवाया है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं किया है, कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, जिनको वर्तमान वाद में बिना पक्षकार बनाये वाद की कार्यवाही जगम आवश्यक पक्षकारों के अभाव में नहीं चल सकती, इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 05 - आया वादीगण का वाद रसाज्युडीकोटा के सिद्धान्त से बाधित है

- जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी डी.डब्लू-1 दुर्गाराम, डी.डब्लू-2 लिखमाराम, डी.डब्लू-3 गुमानराम ने मौखिक साक्ष्य दी, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाया, मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादीगण ने जैश मात्र भी कथन रसाज्युडीकोटा का नहीं किया गया, मात्र जवाबदावा में यह उल्लेख किया कि पूर्व वाद सं. 61/1990 गुणावगुणी पर निर्णित हुआ, इसके विपरीत वादीगण ने प्रदर्श-9 आदेशिका पेश कर साबित किया गया है, कि पूर्व वाद नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ विद्दी किया गया था, इस कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है, जो अभिवचन प्रतिवादी द्वारा किया गया, ऐसे अभिवचन को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है, रसाज्युडीकोटा का सिद्धान्त जिस प्रकरण को गुणावगुणी पर सक्षम न्यायालय द्वारा समान पक्षकारों के बीच निर्णित किया गया हो, पर ही लागू होता है, वर्तमान प्रकरण से पूर्व में इस भूमि के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रकरण गुणावगुणी पर इन्ही पक्षकारों के बीच निर्णित हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया गया न ही प्रदर्श करवाया गया है और न ही इस तथ्य को साबित करवाया गया है, उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 05 का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या - 6 आया वादीगण का खसरा सं. 01 के किसी भू-भाग पर कब्जा न होने से घोषणा का वाद चलने के काबिल नहीं हैं, जिम्मे प्रतिवादीगण -

तनकी संख्या 06 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, प्रतिवादीगण डी.डब्लू.1, दुर्गाराम, ने अपने जिरह के पेज संख्या 4 में यह स्वीकार किया गया है, - कि यह बात सही है, कि खसरा संख्या 01 के रकबे में सम्मत 2012 से 2022 तक आसु वन्द गोरखराम पालीवाल का कब्जा था, जिरह के पेज संख्या 6 में "यह बात सही है, कि वादग्रस्त भूमि के घघपदरा, नैवाई सरहद की तरफ कमरा व पानी का टांका पालीवालों का बना हुआ है, यह बात सही है, कि पालीवाल सूरजमल व आसुराम के परिवार वाले खसरा सं. 2 के जुड़ता खसरा संख्या 1 में आज भी खडते हैं, यह सही है कि आज भी वादीगण रहवासीय ठाव व पानी के टांके बने हुए हैं। डी. डब्लू-2 लिखमाराम ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है, कि यह बात सही है, कि प्रदर्श - 3 खसरा गिरदावरी में मार्क ए टू बी, सी.टु डी, ई टू एफ, जी टू एच, आई टू जे आसु वन्द गोरख पालीवाल लिखा हुआ है यह बात सही है, कि प्रदर्श-6 नियमन आदेश दिनांक 24.04.1970 का मैंने कोई एतराज नहीं किया, यह बात सही है, कि खसरा सं. 01 के उत्तरी भाग पर वादीगण का मौके पर खसरा सं. 02 के जुड़ते वादीगण का मौके पर रहवासीय घर, पानी का टांका बने हुए है यह बात सही है, कि सूरजमल व उनके भाई आसुराम के कब्जे में हमने कोई दखल नहीं की। सक्ष्य विधि अनुसार प्रतिवादीगण अपनी संस्वीकृति के विरुद्ध अन्य कोई कथन करने से विवंचित है, प्रतिवादीगण की संस्वीकृति से ही मौके पर वादीगण का कब्जा का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है, प्रतिवादीगण ने दौरान साक्ष्य वादीगण का मौके पर कब्जा है, उक्त तथ्य को स्वीकार किया, उसके बाद इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपनी संस्वीकृति के विपरीत यह तथ्य लिखित बहस में दर्शाया है, कि मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं है, किसी भी रूप से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण की संस्वीकृति के अलावा प्रदर्श-3, 04, 05 लोक दस्तावेज हैं, धारा 91 आर एल.आर. की कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ही की जाती है, जो भूमि पर भौतिक रूप से काबिज हो, उक्त धारा 91 आर.एल.आर. के तहत कार्यवाही के आधार पर तहसीलदार के द्वारा परिपत्र दिनांक 01.09.1962 के तहत भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि नियमन की गई थी, इससे भी मौके पर राजस्थान कारशकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने के रोज यानि दिनांक 15.10.1965 से वादीगण काबिज थे, यह दस्तावेजी साक्ष्य है, जहां दस्तावेजी साक्ष्य ही, वहां मौखिक साक्ष्य के आधार पर अध्यारोही प्रभाव रखती है, यहां यह उल्लेख करना उचित है, कि प्रदर्श-7 जमावदी संवत 2026 से 2029 में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 25 बीघा भूमि गैर खातेदार पुष्पा पत्नि नोकारचंद कौम महाजन सा0 जोधपुर में टिप्पणी " काबिज नहीं है, खारिज हेतु कार्यवाही की जावे। दिनांक 31.05.1973 उक्त टिप्पणी से स्पष्ट साबित है कि मौके पर पुष्पा पत्नि नोकारचंद कौम महाजन सा0 जोधपुर का कब्जा-काशत नहीं था। यह तथ्य प्रदर्श-7 से स्पष्ट साबित है कि खसरा संख्या 1/1



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जयसमेर

बीघा भूमि पर पुष्पा पत्नि नोकारचंद गैरखातेदार का मौके पर कब्जा काशत नहीं था ऐसी तथ्यों के आधार पर गैर खातेदार पुष्पा पत्नि नोकारचंद के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में 14(4) के तहत भूमि आवंटन आदेश को खारिज करने योग्य था। उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 7 - आया मृतक गुमानसिंह, मंगलसिंह व उसके वारिसान के द्वारा किये गये

बेचाननामों को सक्षम न्यायालय से मंसुख करवाये बिना वर्तमान वाद चलने काबिल नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 7 को साबित करने हेतु प्रतिवादी डी.डब्लू-2 लिखमाराम डी.डब्लू-1 दुर्गाराम ने जवाबदावा में यह कथन किया कि, खसरा सं. 01 के रकबा में 33.14 बीघा भूमि भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह के खातेदारी की थी, जिसको सन् 1991 में लिखमाराम के नाम बेचाननामा नाबालिग के वक्त निष्पादित किया, सदभावी क्रेता हैं, मंगलसिंह, गुमानसिंह, भंवरसिंह के वादग्रस्त भूमि पर से कभी खातेदारी हक समाप्त नहीं हुए, डी.डब्लू - 3 गुमाना राम ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि अप्रैल 1999 में 37.11 बीघा का 1/3 हिस्सा जोगसिंह, जबरसिंह, चन्द्रकंवर, करणसिंह से खरीद किया था, उक्त तनकी के सम्बन्ध में विशिष्ट साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई हैं, कि किस दस्तावेज को बिना मंसुख करवाये वर्तमान वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं, वादीगण ने न्यायालय में वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है, कि खसरा सं. 01 का मूल रकबा 127.05 बीघा था, जिसमें से दिनांक 24.04.1970 को प्रदर्श-6 के जरिये भूमि वादीगण को नियमन हुई, यदि नियमन सुदा भूमि नियमन आदेश के प्रभावी रहते हुए वही भूमि पुनः पश्चातवर्ती कार्यवाही से अन्य व्यक्ति को अन्तरित/ आवंटित की जाती है, तो ऐसा पश्चातवर्ती अंतरण प्रारंभ से ही शून्य निष्प्रभावी होता है, वर्तमान प्रकरण में वादीगण के द्वारा प्रदर्श-6, दिनांक 24.04.1970 नियमन आदेश पेश किया है, उसके खण्डन में प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे सिद्ध हो कि, दिनांक 24.04.1970 से पहले भंवरसिंह को खसरा सं. 01 में भूमि आवंटित हुई हो, उसके बाद उक्त भूमि ही भंवरसिंह द्वारा आगे बेचान की गई, जबकि वादीगण द्वारा यह अभिवचन कर दस्तावेज प्रस्तुत कर तथ्य स्पष्ट रूप से साबित किया गया है, कि भूमि पर कब्जा वक्त सेटलमेन्ट से था, इसके कारण ही उनके विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. की कार्यवाही चली और तदोपरान्त भूमि नियमन दिनांक 24.04.1970 को की गई थी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रभाव शून्य रखने वाली प्रविष्टि अशुद्ध व मिथ्या व्यपदेशन कर पश्चातवर्ती कार्यवाही के आधार पर रिकॉर्ड में अमल दरासद करवाया जाता है, तो ऐसी प्रविष्टियों के क्रमवर्ती सम्पूर्ण कार्यवाहियां प्रारंभ से ही शून्य प्रभाव की होती हैं, जिससे न तो वास्तविक मालिक के हक समाप्त होते हैं, और न ही किसी के हकों का सृजन ही होता है, वर्तमान प्रकरण में भी यह तथ्य स्पष्ट साबित है, कि दिनांक 24.04.1970 से पूर्व भंवरसिंह को मूल खसरा सं. 01 में से भूमि आवंटित हुई हो वही भूमि भंवरसिंह द्वारा आगे प्रतिवादीगण को बेचाननामों के जरिये अंतरित की हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नहीं किया है, जहां तक कि, प्रतिवादी ने आवंटन आदेश जो भंवरसिंह के पक्ष में पारित किया गया, उसे न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में टेण्डर किया और न न्यायालय में प्रदर्श करवाया गया और न ही मौके पर प्रतिवादी का कब्जा हो इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी पेश की गई, जिससे यह साबित होता हो कि, विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो, यदि दिनांक 24.04.1970 के बाद जो भूमि वादीगण को प्रदर्श-6 के जरिये नियमन हो चुकी थी, जिस पर वादीगण का कब्जा निरन्तर सतत् रूप से रहा, उक्त तथ्य प्रदर्श-3, 4, 5 से साबित है, वही भूमि नियमन आदेश दिनांक 24.04.1970 के प्रभावी रहते पश्चातवर्ती कार्यवाही के दौरान पुनः आवंटित की जाती है, और फिर ऐसे आवंटि द्वारा आगे भूमि को अंतरित किया जाता है, तो ऐसे तथाकथित आवंटन आदेश, कथित बेचाननामों को निरस्त करवाना कत्तई आवश्यक नहीं है, यही व्यवस्था न्याय द्वष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर. आर.टी. 2018 (1) पेज संख्या 584, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज संख्या 740 में दी है, कि, पश्चातवर्ती विक्रय विलेख सम्पति में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा, तथा वादीगण को इससे आक्षेपित करना आवश्यक नहीं है, पश्चातवर्ती विक्रय पत्र शून्य व अप्रभावी हैं, उक्त अधिमत को किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णित कर अमान्य घोषित किया हो, ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, इस प्रकार विधि अनुसार ऐसे दस्तावेजात जो पश्चातवर्ती कार्यवाही पर आधारित हैं, वे प्रारंभ से ही शून्य प्रभाव के रहे हैं, विधि के अनुसार किसी व्यक्ति ने प्रारंभ से ही शून्य प्रभाव की प्रविष्टियों के आधार पर की गई कार्यवाही को आधार बना कर मात्र वास्तविक हितबद्ध व्यक्ति के हक, हित, अधिकार एवं विधिक स्वामित्व को निष्प्रभावी करने की बदनियति से अंतरित किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज को न तो प्रश्नगत करने की आवश्यकता है, और न ही किसी सिविल न्यायालय द्वारा न्याय निर्णित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा दस्तावेज जिस प्रविष्टि पर निर्भर है, वो ही अवैध, निष्प्रभावी, अशुद्ध प्रविष्टि रही है, ऐसा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित है, इस प्रकार तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।



सहायक डी.डी.ओ.
(S.D.O.) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने अपने जिम्मे की तनकी सं. 01 से 03 वादीगण ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित की गई हैं, एवं प्रतिवादीगण के जिम्में रखी तनकी सं. 04 ता 07 प्रतिवादी साबित नहीं कर पाये, जो न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादी ने प्रस्तुत किये हैं, उसमें वर्णित तथ्य, कथन एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होती हैं, अतिरिक्त इसके प्रतिवादी ने जो लिखित उज्र बहस में उठाये हैं, ऐसे उज्र कि, प्रदर्श-6 नियमन आदेश नहीं हैं, इसलिए मानने योग्य नहीं हैं, उक्त एतराज प्रतिवादी ने दस्तावेज जो दिनांक 06.12.2006 को प्रदर्श अंकित करवया जा चुका था, के सम्बन्ध में कोई उज्र एतराज उस वक्त नहीं किये, ओर न इस सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षण ही वादीगण से किया गया, अब मात्र लिखित बहस में यह लिख देने मात्र से कि, उक्त आदेश मानने योग्य नहीं हैं, किसी भी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि तत्समय यानि सन् 1970 में तहसीलदार के द्वारा परिपत्र दिनांक 01.09.1962 के तहत भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि नियमन की गई थी, वो आज के समय से बहुत ही भिन्न रही हैं, यदि वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं होता, तो प्रदर्श-3, 4, 5, 6 जारी नहीं होते और न प्रदर्श-7 जमाबंदी में कोई प्रविष्टियां दर्ज नहीं होती, प्रदर्श-3, 4, 5, 6, 7 समी लोक दस्तावेज हैं, जिसमें पश्चातवर्ती समय में प्रविष्टियां दर्ज करना संभव नहीं हैं, उपरोक्त समस्त तनकियात के विवेचन पर हमारी विनम्र राय में वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाने योग्य हैं, वादीगण का वाद स्वीकार कर मूल खसरा सं. 01 मौजा भाण्डियावास मूल रकबा 127 बीघा 05 विस्वा में से प्रदर्श-ए1, ए2, ए4, ए5 अनुसार वर्तमान राजस्व गांव हिमताणियों भाम्मुओं की ढाणी वर्तमान खसरा सं. 870/1 रकबा 33.14 बीघा का खातेदारी हक वादीगण पाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

वादीगण के वाद को स्वीकार कर मूल ग्राम भाण्डियावास प्रदर्श- ए1, ए2, ए4, ए5 अनुसार वर्तमान राजस्व ग्राम हिमताणियों भाम्मुओं की ढाणी में अवस्थित वर्तमान खसरा सं. 870/1 रकबा 33.14 बीघा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी लिखमाराम पुत्र दुर्गाराम का नाम अभिलेख से विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते हैं, प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काशत उपयोग उपभोग में कोई दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नही करें। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन रखी हुई दर्ज हैं, जबकि वाद प्रस्तुतीकरण के रोज प्रस्तुत प्रदर्श-8 अनुसार उक्त भूमि रहन नहीं थी। तहसीलदार पंचपदरा को निर्देश दिये जाते हैं कि निर्णय के अनुसार वादग्रस्त आराजी को संबंधित बैंक के पक्ष में रहन की प्रविष्टियां को यथावत दर्ज करवाते हुए अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।



निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नरेश सैनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठारीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं: 39/1999

वादीगण -

1. सुरजमल पुत्र सतर्भुज 3. ओमप्रकाश 4. शंकरलाल 5. मदनलाल पुत्रान आसुराम
समी जातियान पालीवाल नि. भाण्डियावास तह. पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण

- चन्दा बेवा भंवरसिंह 2. कमला कंवर पुत्री भंवरसिंह 3. करणसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. गुलाबकंवर पुत्री भंवरसिंह 5. देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह 6. जोगसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - जबरसिंह पुत्र मंगलसिंह के कायम मुकामात
7/1 धापुकंवर बेवा जबरसिंह 7/2 भाखरसिंह, 7/3 राजसिंह पुत्रान जबरसिंह समी जातियान राजपूत निवासीयान भाण्डियावास तहसील पचपदरा
 - किशनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्णोई
 - लिखमाराम पुत्र दुर्गाराम 10. दुर्गाराम पुत्र आईदानाराम जाति जाट, समी निवासीयान भाण्डियावास
 - भगवतीदेवी पुत्री आसुराम जाति पालीवाल
 - राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा, 13. गुमनाराम 14. दीपाराम पुत्रान आदाराम
 - प्रेमप्रकाश 16. छगनाराम 17. रमेश कुमार पुत्रान गिरधारीराम समी जातियान जाट निवासीयान बालोतरा
- (मोरो बेवा गुमानसिंह का नाम प्रतिवादी से आदेशिका दिनांक 20.08.2020 से हटाया गया)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु न्यायालय बहाजरी श्री अचलाराम वकील वादीगण मिनजानिब श्री चेलाराम वकील, श्री रतनलाल चौधरी वकील, श्री पूनमाराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है वादीगण के वाद को स्वीकार कर मूल ग्राम भाण्डियावास प्रदर्श- ए1, ए2, ए4, ए5 अनुसार वर्तमान राजस्व ग्राम हिमताणियों भाम्मुओं की ढाणी में अवस्थित वर्तमान खसरा सं. 870/1 रकबा 33.14 बीघा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी लिखमाराम पुत्र दुर्गाराम का नाम अभिलेख से विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते हैं, प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आराज की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नही करें। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन रखी हुई दर्ज हैं, जबकि वाद प्रस्तुतीकरण के रोज प्रस्तुत प्रदर्श-8 अनुसार उक्त भूमि रहन नहीं थी। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि निर्णय के अनुसार वादग्रस्त आराजी को संबंधित बैंक के पक्ष में रहन की प्रविष्टियां को यथावत दर्ज करवाते हुए अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

इसका मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2021 को जारी की गई।



(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वर्णन	रूपया	व.	मुददयलाह	रूपया	व.
स्टाम्प अरजीदावा	6/-		स्टाम्प अरजीदावा	2/-	
स्टाम्प वकालतनामा	1/-		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह-सकूत	1/-		महलाना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्ननामा			हुम्ननामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		